भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 788
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

.....

नदियों में गाद

788 श्री सुनील कुमार:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नदियों में अत्यधिक गाद जमा होने से प्रत्येक वर्ष नदी के तटबंधों को नुकसान होता है, कृषि भूमि नष्ट होती है और जान-माल की हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी स्थिति को रोकने के लिए नदी-वार क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) और (ख): नदी का अपरदन, चाल और तलछट, नदी का एक नियमित प्राकृतिक कार्य है। नदियां बहने वाली गाद में भार और निक्षेपित गाद भार के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त रहती हैं जिससे नदी व्यवस्था बनी रहती है। भारी बाढ़ से होने वाला मृदा अपरदन एक चिंता का विषय है चूंकि इससे अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे नदी मार्ग में बदलाव जिसके कारण भूमि, तटबंधों आदि को नुकसान होता है।

अपरदन नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और अपरदनरोधी योजनाओं का प्रतिपादन और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। केंद्र सरकार, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य सरकारों को, बाढ़ प्रबंधन के प्रयासों में तकनीकी दिशा-निर्देशों और प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार, प्रभावी बाढ़ प्रबंधन और अपरदन नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को मदद देने के लगातार प्रयास कर रही है। विभिन्न आईआईटी और एनआईटी द्वारा प्रमुख नदियों जैसे गंगा, शारदा, राप्ती, कोसी, बागमती, सुबनसरी, कृष्णा, महानदी, महानंदा आदि का स्थलाकृति अध्ययन किया गया है। इन अध्ययनों से तट के कटाव/निक्षेपण, बढ़ोत्तरी/कटौती आदि के संवेदनशील स्थानों का पता लगाने में मदद मिलती है। भारत सरकार ने 11वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) की शुरूआत की थी जिससे कि राज्यों को बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण से जुड़े कार्यों में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा सके जिसे 12वीं योजना और उसके उपरान्त वर्ष 2017-18 और दिसम्बर, 2021 तक की बढ़ी हुई अवधि में बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम' (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रखा गया है। इस कार्यक्रम के एफएमपी घटक के अंतर्गत मार्च, 2021 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6447.76 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

*****